बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक-प्र05(2)बजट(योजना)-06/2010 खाद्य,पटना-15,दिनांक

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत बजट शीर्ष खण्ड II 8000 आकस्मिकता निधि मुख्य शीर्ष 2408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार, उप मुख्यशीर्ष 01-खाद्य, लघु शीर्ष:-101 प्रापण तथा पूर्ति, **मांग संख्या-18**, उप शीर्ष 0103 धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता, विपत्र कोड **सं0-8000-P 2408011010103 विषय शीर्ष 33-01** सब्सिडी इकाई में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आवश्यकतानुसार कुल राशि 2000000000 (दो अरब) रूपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विषयांकित शीर्ष में वित्त विभाग के **पत्रांक ब0-18/ बी0सी0एफ0/316/2014-77 सी0एफ** दिनांक 23.01.2015 **के द्वारा बिहार** आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि **2000000000** (दो अरब) रूपये मात्र नियमतः व्यय करने हेतु आवंटित किया जाता है ।

2. आवंटित राशि राज्य योजना के अन्तर्गत अन्तर्गत बजट शीर्ष खण्ड II 8000 आकस्मिकता निधि, मुख्यशीर्ष 2408 खाद्य भंडारण एवं भांडागार उप मुख्यशीर्ष 01- खाद्य लघुशीर्ष 101 प्रापण तथा पूर्ति के अधीन उपशीर्ष 0103 मांग संख्या- 18 विपत्र कोड सं0--8000-पी0 2408011010103 धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. विभागीय पत्रांक 396 (बजट) दिनांक 28.01.2015 द्वारा बी0 सी0 एफ0 से प्राप्त राशि को व्यय करने की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी । गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

5. इस राशि की निकासी विभागीय अवर सचिव, सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, बिहार, पटना से की जायेगी ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गई राशि विवरणी प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दें । व्यय विवरणी विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध नहीं करायें जाने की स्थिति में व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे ।

7. पूरे वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्च का आकलन कर यदि राशि अवशेष रहने की संभावना हो तो उक्त राशि को ससमय प्रत्यार्पित करेंगे ।

विश्वासभाजन
ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र05(2)बजट(योजना)-06/2010 खाद्य,पटना-15,दिनांक
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित ।

ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र05(2)बजट(योजना)-06/2010 खाद्य,पटना-15,दिनांक
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र05(2)बजट(योजना)-06/2010 खाद्य,पटना-15,दिनांक
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित ।

ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र05(2)बजट(योजना)-06/2010 65(योज) खाद्य,पटना-15,दिनांक 28/01/15
प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी 05 एवं 10 तथा आई0टी0 मैनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित ।

सरकार के सचिव ।
28/1/2015